National Board for Micro, Small and Medium Enterprises

*344. SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Will the Minister of SMALL SCALE INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up a National Board for Micro, Small and Medium Enterprises; and

(b) if so, the issues to be examined by the Board?

THE MINISTER OF SMALL SCALE INDUSTRIES (SHRI MAHAVIR PRASAD): (a) to (b) A Statement has been placed on the Table of the House.

Statement

(a) Sub-section (1) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 provides for the establishment of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises.

(b) According to section 5 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the following are the functions of this Board:

(i) to examine the factors affecting the promotion and development of micro, small and medium enterprises and review the policies and programmes of the Central Government in regard to facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of such enterprises and the impact thereof on such enterprises.

(ii) to make recommendations on matters mentioned above or on any other matter referred to it by the Central Government which, in the opinion of that Government, is necessary or expedient for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of the micro, small and medium enterprises; and

(iii) to advise the Central Government on the use of the Fund or Funds constituted under section 12 of the said Act.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, the micro, small and medium enterprises have envisaged mainly two actions ...(*Interruptions*)... One, differential lending and two, the differential procurement of small-scale industries products by Government Departments and public sector companies in particular. My question is, in the package declared for SMEs and rules framed under the Act, what concrete measures have been taken

in that direction. Whether concrete instructions have been issued to banks, Government Departments and PSUs in that direction.

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस संदर्भ में एक हमारी सर्वोच्च समिति, सर्वोच्च कमेटी है, जिसको हम नेशनल बोर्ड कहते हैं। उसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं, उसमें सम्मानित सांसदगण रहते हैं और विभिन्न उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी होते हैं। इस प्रकार से लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योगों की प्रगति के लिए, प्रोन्नति के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गाइड लाइन्स जारी की गई थीं, जिनके बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने 2005 में एक घोषणा की थी। उसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदेश दिया था कि वह कम से कम हर वर्ष 5 नये उद्योग लगाने के लिए प्रयत्न करें। इस प्रकार से क्रेडिट को कम करने के लिए बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, I remember that in reply to a Starred Question given in Rajya Sabha a few days back, the hon. Minister has said that as per RBI guidelines of 2002, small-scale and medium-scale sectors are being given credit. Then, after 2002, in 2006, the SME Act had been passed. Even though there was a provision of preferential credit to SMEs under the RBI guidelines of 2002, the credit flow to SMEs has failed to improve. Is the Government serious on that account?

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं फिर बताना चाहता हूं कि जो इनका मूल प्रश्न नेशनल बोर्ड के संदर्भ में था, उसके संबंध में माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है। फिर भी, मैं इनको स्मरण कराना चाहता हूं कि इसके पहले जनवरी, 2003 में जो गाइड लाइन्स थीं, फिर उसके बाद 10 अगस्त, 2005 की गाइड लाइन्स थीं और इसी प्रकार की 8 सितम्बर, 2005 में गाइड लाइन्स दी गई थीं, उनके आधार पर बैंकों ने जो हमारे उद्योग संगठन हैं, उनके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक क्रेडिट की व्यवस्था की जाए, जिसके संदर्भ में हम बहुत से कार्यक्रम चला रहे हैं। उन कार्यक्रमों के विषय में यदि मैं बताने लगूं तो काफी समय लगेगा। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं।

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, when the programme for development of small-scale industries was started in the mid 50's, there was one board exclusively for small-scale industries. The idea was that there should be a board devoted to the problems of small-scale industries covered by one definition. But, today, the proposal seems to be to club together micro

industries, small-scale industries, and medium industries, each group having capital investment ranging from Rs. 5 lakh to Rs. 20 crore. My question to the hon. Minister is whether he thinks that one board covering industries having capital investment ranging from Rs. 5 lakh to Rs. 20 crores can really do justice to the problems of the small-scale industries in this country. Or whether he will consider, in view of the importance of stimulation of entrepreneurship in the small-scale sector, going back to the old practice which yielded considerable results in the country's industrial development and have a separate board for small-scale industries covered by the definition exclusively for small-scale industries.

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि पहले एक नैशनल बोर्ड था लेकिन वह साविधिक नहीं था। जब हमारा 2006 का एक्ट इस माननीय सदन से पास हुआ, उस एक्ट के आधार पर हमने नैशनल बोर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिस प्रक्रिया में हमारे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ओर 20 संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे जिसमें कम से कम तीन महिलाएं होंगी। महोदय, मैंने अभी बताया कि उसमें लोक सभा के दो सदस्य होंगे, राज्य सभा के एक सदस्य होंगे।

श्री सभापति: वह तो आपने बता दिया है।

श्री महावीर प्रसाद: लेकिन इस आधार पर उस बोर्ड में करीब 101 और अधिक सदस्य होते थे, जिसकी बैठकें नहीं हो पाती थीं।...(व्यवधान)... मैं उसी पर आ रहा हूं। इसीलिए दूसरे बोर्ड की परिकल्पना करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के संबंध में पूरे देश को 6 ज़ोनों में हमने बांटा है, केवीआईसी की तर्ज पर, और इस आधार पर चूंकि इनवेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, इसलिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी इसमें होंगे और सारे प्रतिनिधि ...(व्यवधान)...

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, the hon. Minister is missing my point. How can micro industries, small industries, and medium industries be grouped under the cover of one programme? My point was that their problems are different; therefore, their policies also should be different.

श्री अमर सिंह: पी.सी. अलेक्ज़ेन्डर साहब बहुत सीनियर मैंबर हैं, उनकी बात का ठीक ठीक जवाब दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बड़े प्रबुद्ध हैं, इसलिए ...(व्यवधान)... आप शांत रहिए, शांतिपूर्वक सुनिए। जो बोर्ड बना रहे हैं, उस बोर्ड में सूक्ष्म के अधिक सदस्य रहेंगे, क्योंकि 99 परसेंट ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उनका क्वेश्चन यह नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद: ये कह रहे हैं कि दो ...(व्यवधान)... इसीलिए हम इस गठन को, नैशनल कमेटी को बनाने जा रहे हैं ताकि जो अंतर है, लघु, सूक्ष्म और मध्यम का, तीनों को जो 25 लाख, पांच करोड़ और दस करोड़ का – इस अंतर को समझने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जो प्रक्रिया में है।

श्री बनवारी लाल कंछल: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि उद्यमियों के संवर्धन और विकास के लिए यह बोर्ड काम करेगा। माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जो चाइना का माल और बहुत सी कम्पनियों का माल यहां आ रहा है और छोटे-छोटे उद्योगों को बर्बाद कर रहा है, क्या यह बोर्ड बाहर से आने वाले इस माल के दुष्प्रभाव को रोकने का भी काम करेगा और उसकी जानकारी भी करेगा? इसके अतिरिक्त उद्यमियों को फायदा पहुंचाने का काम बोर्ड करेगा या नहीं करेगा?

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, इस बोर्ड के द्वारा, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसमें क्रेडिट के संदर्भ में और ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माल बाहर से आ रहा है, उसके संदर्भ में कहिए।

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, मैं बता रहा हूं । उसी पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य ने चीन के संबंध में प्रश्न उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। उन कार्यक्रमों के आधार पर हम प्रयत्न कर रहे हैं। बाहर से जो माल आ रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए हम गुणवत्ता के आधार पर अपने लघु उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे—ISO 1000, ISO 14001, Credit Fund आदि। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह schemes हम इसीलिए चला रहे हैं, ताकि बाहर से आने वाला जो माल है, China या दूसरे देशों से आने वाला जो माल है, सामान है, उत्पाद है, उसको हम कम कर सकें।

श्री बनवारी लाल कंछल: मान्यवर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रश्न संख्या 345।

श्री अमर सिंह: सभापति जी, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। Dumpling के लिए आप क्या कर रहें हैं? Dumping से भारत का बाज़ार खराब हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, यह बताइए, गोल-गोल क्या बताते हैं।

श्री महावीर प्रसाद: सभापति जी, मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि माननीय अमर सिंह जी बहुत चातुर्य बल रखते हैं। यह प्रश्न कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, इसलिए concerned Minister ही इसके बारे में बता सकते है।

श्री सभापति: ठीक है। Next, Question No. 345.

*345. [The questioner (Shri Mahendra Mohan) was absent. For answer *vide* page 38 infra.]

NRHM in Orissa

*346. MS. PRAMILA BOHIDAR:

SHRI B.J. PANDA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the status of National Rural Health Mission, an ambitious project of the Centre; and

(b) the progress of its implementation in Orissa and how far it has improved the rural health infrastructure in the State?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

National Rural Health Mission (NRHM) was launched all over the country on 12th April, 2005. The main aim of NRHM is to provide accessible, affordable, accountable, effective and reliable primary health care facilities, especially, to the poor and vulnerable sections of the population. The first year was preparatory phase of the Mission during which Institutional arrangements were established in all States. Guidelines for various strategies were firmed up and disseminated to States for operationalisation. Since its launch, Institutional arrangements for the Mission have been operationalised in all States. These include State and District Health Missions which have been constituted in all States/UTs. The operational merger of Departments of Health & Family Welfare has also been completed in all States. The States have also merged various Programme societies in Health sector at State and district levels into a common State/District Health Society.

Over 2,38,000 ASHAs have been reported selected in various States till date and out of these, over 1,49,000 have received the orientation training also. Detailed guidelines for mentoring of ASHAs as well as the associated generic funding have been disseminated to the States. Under NRHM, all